[ 2021 ] 7 एस. सी. आर 1117

श्री शिवाजी शिक्षा समाज,

अमरावती अपने राष्ट्रपति के माध्यम से

वी.

ओमप्रकाश एस/ओ दिनकर देशमुख और ओआरएस।

( 2021 की सिविल अपील संख्या 6981)

22 नवंबर, 2021

[ हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

वसीयत के तहत किया गया वसीयत-वसीयतकर्ता की प्रकृति

निष्पादित वसीयत (संपत्ति के संबंध में) अपनी पत्नी (वादी संख्या 1) के पक्ष में जिसने बदले में अपीलार्थी को विचाराधीन संपत्ति उपहार में दी

( वादी नं. 2)-प्रतिवादियों का तर्क कि उपहार विलेख निष्पादित किया गया

वादी सं। 1 आयोजित वसीयत के तहत उन्हें प्रदान की गई एक सीमित जीवन संपदा को देखते हुए यह अमान्य थाः जबकि विचारण न्यायालय

यह विचार रखते हुए कि वसीयत के तहत, वसीयतकर्ता की पत्नी को जीवन के लिए आनंद का केवल एक सीमित अधिकार दिया गया था, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जो वसीयत किया गया था वह हस्तांतरण के अधिकार सहित आनंद का पूर्ण अधिकार था-उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को पलट नहीं दिया-इसके बजाय, उच्च न्यायालय गलत तरीके से धाराओं की उप-धारा (1) और (2) का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा। 14 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि सीमित संपत्ति को पूर्ण स्वामित्व में विस्तारित नहीं किया गया था-इस तथ्य के सवाल पर कि क्या वसीयत के तहत जो बताया गया था, वह केवल आनंद का सीमित अधिकार था या पूर्ण स्वामित्व, वादी के पक्ष में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया गया था-इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा विकृत नहीं माना गया था, हालांकि उच्च न्यायालय ने

यह मानते हुए कि विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह था कि वसीयतकर्ता की पत्नी पूर्ण मालिक थी या सीमित मालिक, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर वसीयत में निहित पाठों के आधार पर नहीं, बल्कि इस न्यायालय के एक अप्रयोज्य निर्णय की गलत समझ के आधार पर दिया।

-

उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि एक नागरिक विवाद में, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून का अंतिम न्यायालय है और उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप है। s.100 केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न

पर है-एक बार जब प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि वसीयत में निहित पाठ स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वामित्व को व्यक्त करते हैं, तो उच्च न्यायालय के लिए एस में जाने का कोई अवसर नहीं था। 14 इसके अलावा, प्रथम अपीलीय न्यायालय दो नियमित मामलों से संबंधित था

[ 2021 ] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली अपील, एक प्रतिवादियों द्वारा दायर (1986 का आर. सी. ए. सं. 408) और दूसरी अपीलार्थी/वादी द्वारा दायर। 1 ( आर. सी. ए. सं. 416

1986 ) – प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 1986 के आर. सी. ए. No.408 को खारिज कर दिया और

1986 के आर. सी. ए. सं. 416 की अनुमति-प्रतिवादियों ने केवल दाखिल करने का विकल्प चुना एक दूसरी अपील और वह आर. सी. ए. संख्या 408 में डिक्री के खिलाफ थी

1986 का-1986 के आर. सी. ए. संख्या 416 में डिक्री प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी

अंतिमता-इस आधार पर भी, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील को खारिज कर देना चाहिए था-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

- s.108।

साधु सिंह बनाम। गुरुद्वारा साहिब नरीके और अन्य।

( 2006 ) 8 एससीसी 75: [ 2006 ] 5 पूरक। एससीआर 799-आयोजित

अप्रयोज्य।

मामला कानून संदर्भ

[ 2006 ] 5 पूरक। एससीआर 799

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6981

2021 से।

उच्च न्यायालय के 14.10.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बॉम्बे में न्यायपालिका, नागपुर में पीठ की दूसरी अपील No.154

1992 .

सत्यजीत ए. देसाई, गौरव चौधरी, सिद्धार्थ गौतम,

सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. पारित 14.10.2014 दिनांकित निर्णय और डिक्री से व्यथित

बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा, एक

दूसरी अपील और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को उलटना,

जो अपने आप में एक उलट निर्णय था, वादी संख्या 1 वसूली के लिए एक मुकदमे में

कब्ज़ा और अतीत और भविष्य के लाभ के लिए, के साथ आया है

उपरोक्त अपील।

श्री शिवाजी शिक्षा समाज, अमरावती अपने राष्ट्रपति बनाम के माध्यम से। ओमप्रकाश एस/ओ दिनकर देशमुख और ओआरएस।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री गौरव चौधरी और प्रत्यर्थी सं. राहुल चिटनिस की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। 1 और 4.

4. सूट संपत्ति एक घर है, जो मूल रूप से एक श्री काशीराव संपत देशमुख का था। उक्त काशीराव संपतराव

देशमुख की मृत्यु 1.05.1977 पर हो गई, जिससे वे जीवित रह गए, उनकी पत्नी श्रीमती। शेवंताबाई। 5. यह तर्क देते हुए कि अपने पति की मृत्यु के बाद, शेवंताबाई ने एक पंजीकृत उपहार के तहत अपीलार्थी को सूट संपत्ति उपहार में दी।

विलेख दिनांक 9.04.1981 और वे प्रतिवादी जो श्रीमती की मदद करने के बहाने घर में आए थे। शेवंताबाई और उनके पति ने अपने बुढ़ापे में धीरे-धीरे सूट की संपत्ति पर पूरा नियंत्रण कर लिया और श्रीमती को चला दिया। शेवंताबाई बाहर, यहाँ अपीलार्थी और श्रीमती। शेवंताबाई 1982 के नियमित सी. एस. संख्या 24 में सिविल जज (जे. डी.), अकोट के न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए एकजुट हुईं। मुकदमा कब्जे की वसूली के लिए था। प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में 4.05.1976 पर श्री काशीराव संपत देशमुख द्वारा कथित रूप से निष्पादित एक वसीयत की स्थापना की। प्रतिवादियों का यह तर्क था कि उक्त वसीयत के तहत, श्रीमती. शेवंताबाई को केवल एक जीवन संपदा दी गई थी और यह कि उनके जीवनकाल के बाद, संपत्ति पहले प्रतिवादी को हस्तांतरित की जानी थी। प्रतिवादियों ने दावा किया कि शेवंताबाई द्वारा निष्पादित उपहार विलेख वसीयत के तहत उन्हें प्रदान की गई सीमित जीवन संपत्ति को देखते हुए अमान्य था।

6. ट्रायल कोर्ट, एक निर्णय और डिक्री दिनांक 17.12.1986 द्वारा

आयोजित किया गया

( i) कि प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत साबित हो गई थी; (ii) कि शेवंताबाई, जो वादी संख्या 2 थीं, को केवल एक अधिकार विरासत में दिया गया था -

अपने जीवनकाल के दौरान आनंद और (iii) इसलिए, श्रीमती द्वारा निष्पादित उपहार विलेख। शेवंताबाई इसमें अपीलार्थी के पक्ष में, जो वादी संख्या 1 थी, प्रतिवादियों के लिए वैध और बाध्यकारी नहीं थी। तदनुसार, विचारण न्यायालय ने इसमें अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन वादी संख्या 2 के पक्ष में एक डिक्री दी, क्योंकि वह उस समय जीवित थी और स्वीकार किया कि वह अपने जीवनकाल के दौरान वाद संपत्ति पर कब्जा करने और उसका आनंद लेने की हकदार थी। 7. श्रीमती के पक्ष में दिए गए अधिकार की डिक्री से व्यथित। शेवंताबाई (वादी संख्या 2), प्रतिवादियों ने 1986 के आर. सी. ए. संख्या 408 में एक नियमित पहली अपील दायर की। वसीयत के तहत वसीयत की प्रकृति और उपहार विलेख की वैधता के बारे में निष्कर्षों से व्यथित, [2021] 7 एस. सी. आर.

अपीलार्थी (वादी सं. 1) ने 1986 के आर. सी. ए. सं. 416 में एक स्वतंत्र पहली अपील दायर की।

8. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अकोला ने एक निर्णय और दिनांक 1 दिनांकित डिक्री द्वारा प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को यहां स्वीकार कर लिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत स्पष्ट रूप से शेवंताबाई को आनंद के सभी अधिकार देती है, जिसमें शामिल हैं -

उसी के निपटान का अधिकार और यह कि, इसलिए, वह वाद संपत्ति की पूर्ण स्वामी थी जो इसे अपीलार्थी को यहाँ उपहार में देने की हकदार थी।

9. यद्यपि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दो प्रथम अपीलों, अर्थात् आर. सी. ए. सं. में एक सामान्य निर्णय था। 408 और 416 1986 में, प्रतिवादियों ने बॉम्बे, नागपुर पीठ में उच्च न्यायालय की फाइल पर 1992 के एस. ए. संख्या 154 में केवल एक दूसरी अपील दायर की। उक्त अपील को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1 के एक निर्णय और डिक्री द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि शेवंताबाई के पक्ष में जो दिया गया था वह केवल एक जीवन संपदा थी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के तहत उनकी संपत्ति का विस्तार नहीं किया जा सकता था। यह उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के खिलाफ है कि इसमें अपीलार्थी जो वादी संख्या 1 था, उपरोक्त अपील के साथ आया है।

शेवंताबाई ने सफल होने के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। पहला प्रतिवादी भी कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसके द्वारा स्थापित वसीयत में वसीयतकर्ता के भतीजे के रूप में वर्णित किया गया था। 10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। तीनों न्यायालयों ने इस आधार पर कार्यवाही की कि

श्री काशीराव संपतराव द्वारा दिनांकित 4.05.1976 वसीयत का निष्पादन

देशमुख साबित हो गए। वसीयत के तहत किए गए वसीयत की प्रकृति के सवाल पर ही तीनों न्यायालयों में से प्रत्येक ने अलग-अलग विचार रखे। जबकि विचारण न्यायालय का विचार था कि वसीयत के तहत वसीयतकर्ता की पत्नी (वादी संख्या 2) को जीवन के लिए आनंद का केवल सीमित अधिकार दिया गया था, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि जो वसीयत किया गया था वह हस्तांतरण के अधिकार सहित आनंद का पूर्ण अधिकार था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मेरी पत्नी श्रीमती के रूप में वसीयत में सबसे महत्वपूर्ण पाठ पर प्रकाश डाला। शेवंताबाई काशीराव संपतराव देशमुख के पास कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, उनकी मृत्यु के बाद जो भी संपत्ति बची है वह संपत्ति है।

मैं अपने भतीजे के पास जाऊंगा। "

शब्द "उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ भी श्री शिवाजी शिक्षा समाज, अमरावती अपने राष्ट्रपति के माध्यम से। ओमप्रकाश एस/ओ दिनकर देशमुख और ओआरएस।

संपत्ति के अवशेष स्पष्ट रूप से इस तथ्य का संकेत थे कि वसीयत

यह जीवन संपदा का नहीं था, बल्कि पूर्ण था। 11. दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को पलट नहीं दिया। इसके बजाय, उच्च न्यायालय

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 की उप-धाराओं (1) और (2) का गलत तरीके से विश्लेषण करने के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व में विस्तार नहीं हुआ। इस तथ्य के सवाल का कि क्या वसीयत के तहत जो बताया गया था, वह केवल आनंद का सीमित अधिकार था या पूर्ण स्वामित्व, का निपटारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष को विकृत नहीं माना गया था। यद्यपि उच्च न्यायालय ने सोचा कि विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह था कि क्या श्रीमती. शेवंताबाई

पूर्ण स्वामी या सीमित स्वामी होने पर, उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर वसीयत में निहित पाठों के आधार पर नहीं, बल्कि साधु सिंह बनाम गुरुद्वारा साहिब नरीके और Ors.[1] मामले में इस न्यायालय के एक अप्रयोज्य निर्णय की गलत समझ के आधार पर देने का फैसला किया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि एक दीवानी विवाद में, प्रथम अपीलीय न्यायालय तथ्य और कानून का अंतिम न्यायालय है और धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर है। एक बार जब प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि वसीयत में निहित पाठ स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वामित्व को व्यक्त करते हैं, तो उच्च न्यायालय के लिए कोई अवसर नहीं था

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में बिल्कुल भी जाएँ। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय और डिक्री स्पष्ट रूप से गलत है और खारिज किए जाने योग्य है। 12. एक और कारण यह भी है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। जैसे हम।

पहले बताया गया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय दो नियमित प्रथम अपीलों से संबंधित था, एक प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई थी और दूसरी अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी जो वादी संख्या 1 थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर 1986 की आर. सी. ए. संख्या 408 को खारिज कर दिया और इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर 1986 की आर. सी. ए. संख्या 416 को अनुमति दी। प्रतिवादियों ने केवल एक दूसरी अपील दायर करने का फैसला किया और वह 1986 के आरसीए नंबर 408 में डिक्री के खिलाफ था। 1986 के आर. सी. ए. सं. 416 में डिक्री को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि इस जमीन पर, उच्च

अदालत को दूसरी याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी। 1 1 (2006) 8 एससीसी 75

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति है, आक्षेपित

उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा श्रीमती के साथ दायर किया गया मुकदमा। जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने दिनांकित 22.01.1992 निर्णय में निर्णय लिया गया है, शेवंताबाई के लिए अनुरोध किया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस